भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 47
उत्तर देने की तारीख: 21/07/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाएं

†47. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं के उन्नयन और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) उक्त योजना में शामिल स्कूलों की संख्या कितनी है और देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में, इन पहलों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश में सुस्थापित स्मार्ट कक्षाओं और उन्नत उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या तमिलनाडु के लिए स्कूलों में डिजिटल अवसंरचना के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो समय-सीमा और अपेक्षित अधिगम परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में स्मार्ट कक्षाओं और उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं से सुसज्जित स्कूलों में शिक्षकों के क्षमता निर्माण, डिजिटल अवसंरचना के नियमित रखरखाव और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.): समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के अंतर्गत स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएँ और स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के अंतर्गत अनावर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध है:

i. **विकल्प I:** इस विकल्प के तहत, जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं लिया है, वे अपनी आवश्यकता और अपेक्षा अनुसार आईसीटी या स्मार्ट कक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन होने पर, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हार्डवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता खरीदने की छूट होगी। इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के अनुपात के आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षा, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

ii. **विकल्प II**: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षा/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

आईसीटी प्रयोगशालाएँ : 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपये तक का अनावर्ती अनुदान तथा 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

वर्ष 2023-24 से, इस योजना के तहत स्कूल नामांकन के आधार पर चरणबद्ध वित्तपोषण भी किया जाता है। (संख्या < 100: 2.5 लाख रुपये, 100-250 के बीच: 4.5 लाख रुपये, 250-700 के बीच: 6.4 लाख रुपये)

स्मार्ट कक्षा: स्मार्ट कक्षा (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षा) के लिए अनावर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान प्रति स्कूल प्रति वर्ष 38,000 रुपये है (ई सामाग्री और डिजिटल संसाधन, बिजली शुल्क सहित)।

स्वीकृत और क्रियाशील आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। यूडाइज़+ 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षा का जिलावार ब्यौरा https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

वर्ष 2025-26 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में स्वीकृत यूडाइज़+ डेटा और निधि के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं और विषय-विशिष्ट प्रयोगशालाओं को पूर्ण करने में कमियों को चिन्हित किया गया था। इस कमी को पूरा करने के लिए, 28 मई, 2025 को एक पूरक पीएबी आयोजित किया गया और समग्र शिक्षा के कार्यक्रम संबंधी मानदंडों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए ₹5989.90 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिनमें तमिलनाडु के लिए ₹34.18 करोड़ शामिल हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, सरकारी विद्यालयों में 13,351 आईसीटी लैब और 865 स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 6,414 आईसीटी प्रयोगशालाएँ, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 6,937 हाई-टेक लैब और 865 सरकारी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 865 स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित की जा चुकी हैं और कार्यरत हैं। तकनीकी सहायता के लिए सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में निष्ठा - स्कूल प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। निष्ठा, "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" हेतु एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। शिक्षकों को सतत अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए, अक्टूबर 2020 में दीक्षा मंच का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया था। शिक्षकों को अधिगम परिणामों, योग्यता आधारित अधिगम एवं परीक्षण तथा शिक्षण-अधिगम में आईसीटी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया।

*****

अनुलग्नक

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाएं के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सी.एन. अन्नादुरई और श्री जी. सेल्वम द्वारा 21/07/2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुमोदित एवं कार्यशील आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	*आईसीटी (वर्ष 2005-06 से अब तक)*		स्मार्ट क्लासरूम *(वर्ष 2020-21 से अब तक)*	
	अनुमोदन	कार्यात्मक	अनुमोदन	कार्यात्मक
अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह	147	140	41	0
आंध्र प्रदेश	9602	9099	5337	4691
अरुणाचल प्रदेश	685	480	318	141
असम	6986	6903	6481	4036
बिहार	3483	2855	5473	2827
चंडीगढ़	154	107	186	186
छत्तीसगढ	3777	2341	10529	5857
दमन दीव – दादरा नगर हवेली	152	130	192	137
दिल्ली	1430	1106	1119	1018
गोवा	463	460	24	24
गुजरात	6112	5830	7155	7078
हरियाणा	4452	3521	3556	3226
हिमाचल प्रदेश	3858	2555	2262	2248
जम्मू और कश्मीर	4011	3036	4361	1352
झारखंड	5339	4734	1795	982
कर्नाटक	9175	3293	3940	437
केरल	2474	2409	730	373
लद्दाख	188	171	138	122
लक्षद्वीप	28	11	0	0
मध्य प्रदेश	5338	3738	9531	4018
महाराष्ट्र	10548	10134	5155	2257
मणिपुर	828	785	544	512
मेघालय	509	454	25	25

मिजोरम	1035	507	240	229
नगालैंड	760	649	712	649
ओडिशा	8412	8315	9542	6973
पुदुचेरी	176	176	145	145
पंजाब	5807	3969	3885	3567
राजस्थान	10751	8807	13057	7612
सिक्किम	385	372	301	301
तमिलनाडु	16564	13351	7149	865
तेलंगाना	6287	5292	4212	3982
त्रिपुरा	1593	1426	977	886
उत्तर प्रदेश	18020	3987	33616	18460
उत्तराखंड	2500	621	2810	1537
पश्चिम बंगाल	4184	2788	502	0
कुल	**156213**	**114552**	**146040**	**86753**
स्रोत: प्रबंध (31.05.2025 की स्थिति के अनुसार)				

*****